

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2023, लखनऊ, दिनांक: लखनऊ: 04 सितम्बर, 2023

--:: आदेश ::--

मुख्यालय के आदेशांक: 962/2023 दिनांक 07-08-2023 के द्वारा दिनांक 11-09-2023 से दिनांक 13-09-2023 तक गाजियाबाद एवं दिनांक 25-09-2023 से दिनांक 27-09-2023 तक वाराणसी में युगलपीठ गठित की गयी थी, जिसमें न्यायिक सदस्य पीठ-3, वाराणसी श्री मो0 रिजवान अहमद को नामित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति सं0: 2016/2023 दिनांक 21-08-2023 के द्वारा श्री मो0 रिजवान अहमद, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, वाराणसी का स्थानान्तरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर, पडरौना के पद पर किया गया है।

अतः एतद् द्वारा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद पीठ में दिनांक 11-09-2023 से दिनांक 13-09-2023 तक एवं वाराणसी पीठ में दिनांक 25-09-2023 से दिनांक 27-09-2023 तक गठित युगलपीठ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 04-09-2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1165/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।
- 3- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- मुन्सरिम/पेशकार मुख्यालय/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण मुख्यालय।
- 5- वेब अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करें।
- 6- स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।